छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,

निविदा सूचना

निविदा दिनांक : 28/10/2016, समय – 12.00 बजे (दोपहर)

स्थान : छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला कार्यालय, लोक सेवा केन्द्र के पीछे, कलेक्ट्रेट परिसर, जगदलपुर, ।

अखाद्य सामग्री का विवरण निम्नांकित है –

क्र	प्रदायकेन्द्र जहां स्कंध संग्रहित है	स्कंध का नाम एवं मात्रा (क्विं. में)	
		अमृत नमक	महतारी लईका नमक
1	जगदलपुर	3222.52	9.06
2	केशलुर	968.97	—
3	करपावण्ड	2069.59	—
कुल		**6261.08**	**9.06**

उपरोक्त स्कंध/सामग्री के निविदा हेतु शर्तें निम्नांकित है :–

1. स्कंध सामग्री का विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर किया जाना है। संग्रहित मात्रा कम–ज्यादा हो सकती है।
2. दरें भरने के पूर्व इच्छुक क्रेता जिला प्रबंधकों से संपर्क कर जिला/केन्द्रों पर संग्रहित स्कंध/सामग्रियों का निरीक्षण कर संतुष्ट होने पर निविदा करें।
3. इच्छुक निविदाकार बंद लिफाफे में लेटरहेड पर पासपोर्ट साईज स्वप्रमाणित फोटो के साथ दर प्रति क्विंटल तथा खाली बारदाना हेतु प्रति नग दरें प्रस्तुत करें। निविदाकार अनुपयोगी गीली शक्कर एवं नमक की दरों के साथ पेन नम्बर एवं बैंक खाता क्रमांक तथा पेन कार्ड की फोटो प्रति भी अनिवार्यतः लगावें।
4. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी स्वीपेज शक्कर (गीली) हेतु 200/–रू. प्रति क्विंटल, (गेहूं, चना, पीली मटर दाल) हेतु 50/–रू. प्रति क्विंटल, (राजसात अमृत नमक, स्वीपेज नमक, छत्तीसगढ़ नमक, महतारी लईका नमक एवं महामाया नमक) हेतु 25/–रू. प्रति क्विंटल एवं खाली बारदाना हेतु 1/–रू. प्रति नग की दर से अमानत राशि जमा करना होगा। अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीयकृत/शेड्ल बैंक का डी.डी. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. जिला कार्यालय के नाम से देय होगा। संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित अमानत राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा स्वीकृत होने पर H/1 को छोड़कर अन्य निविदाकारों की अमानत राशि जिला कार्यालय द्वारा वापस कर दी जावेगी।
6. दरें स्वीकृत होने पर खाद्यानों/सामग्री के मूल्य की समस्त राशि आर.टी.जी.एस. या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला कार्यालय में जमा कर 15 दिनों के भीतर अखाद्य सामग्रियों का उठाव करना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में उठाव नहीं करने पर नियमानुसार निर्धारित भण्डारण शुल्क जमा कराकर पुनः 15 दिवस की समय–सीमा मुख्यालय द्वारा बढ़ाई जायेगी। इसके बाद भी डिलीवरी नहीं लेने पर निविदाकार को सामग्री प्रदाय नहीं कर जमा की गई अमानत राशि को राजसात करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. भण्डारित स्कंध/सामग्री की डिलीवरी एक साथ एक तरफ से दिया जायेगा। स्कंध/सामग्री छांट कर प्रदाय नहीं किया जायेगा। डिलीवरी के दौरान अतिरिक्त बारदाने की आवश्यकता होने पर, क्रेता को बारदाने की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
8. निविदा स्वीकृत होने पर भण्डारित सामग्री के मूल्य की संपूर्ण राशि जिला कार्यालय में जमाकर अनुबंध जिला कार्यालय में किया जायेगा।

9. निगम से स्कंध उठाव के पूर्व क्रय स्कंध को मानव के खाने के लिए उपयोग/विक्रय नहीं किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र देना होगा।
10. निविदा की मात्रा का उठाव करने में होने समस्त व्ययों को क्रेता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
11. विक्रय हेतु उपलब्ध सामग्री के मूल्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य कर स्वयं क्रेता को देना अनिवार्य होगा।
12. अपवाद स्वरूप सामग्री के उठाव करने में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर उसके निराकरण के लिए प्रथमतः निगम के प्रबंध संचालक व इनके द्वारा मनोनित अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा इनके द्वारा दिया गया निर्णय क्रेता पर बंधनकारी होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवादों के लिए न्यायालय क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।
14. किसी भी निविदा/दर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अंतिम निर्णय का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

जिला प्रबंधक
जगदलपुर